

सं.ए-32013/01/2021-केहिंप्रसं २५५९

भारत सरकार

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

7वीं मंजिल, अंत्योदय भवन,

सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड,

नई दिल्ली - 110003

दिनांक:- 15 JUL 2022

कार्यालय आदेश

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 08.07.2022 के कार्यालय जापन सं. 14034/09/2022-राभा(प्रशि) के अनुसार निम्नलिखित सहायक निदेशक (भाषा) को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना में उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना) के पद पर वेतन लेवल-11, रु.67,700-2,08,700/- (पूर्व संशोधित पीबी-3, रु.15,600-39,100+6600 ग्रेड वेतन) पर पदोन्नति दिए जाने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तदनुसार, पदोन्नति पर संबंधित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए कार्यालयों में तैनात किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री/कु./डॉ.)	वर्तमान तैनाती स्थान	पदोन्नति पर प्रस्तावित तैनाती स्थान
1	बेला	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, हैदराबाद	हिंदी शिक्षण योजना, हैदराबाद
2	रमा पी अयंगर	हिंदी शिक्षण योजना, चेन्नै	हिंदी शिक्षण योजना, विशाखापट्टनम
3	प्रतिभा मलिक	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली	हिंदी शिक्षण योजना (मध्योत्तर), नई दिल्ली

इसके अतिरिक्त श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, उप निदेशक (मध्योत्तर) को दिनांक 01.08.2022 से उप निदेशक (परीक्षा) के कार्यालय में (श्रीमती कमलेश बजाज, उप निदेशक (परीक्षा), नई दिल्ली के दिनांक 31.07.2022 को सेवानिवृत्त होने के उपरांत) स्थानांतरित किया जाता है।

यह पदोन्नति संबंधित अधिकारियों द्वारा उप निदेशक (हिंदी शिक्षण योजना) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।

उपर्युक्त सहायक निदेशक (भाषा) को पहले ही निश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना/संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (ACP/MACP) के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन का लाभ दिया जा चुका है, उन्हें अब पदोन्नति पर मूलभूत नियमावली के नियम 22(1)(क)(1) के तहत पुनः वेतन निर्धारण का अवसर नहीं दिया जाएगा।

19-7-2022

सुमन लाल
14.7.2022
(सुमन लाल)
निदेशक (प्रभारी)

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु:-

1. वेतन तथा लेखा अधिकारी (सचिवालय), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. क्षेत्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय (सी.आई.एस.एफ.), गृह मंत्रालय, चेन्नै।
3. उप सचिव (प्रशि.), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (मध्योत्तर/परीक्षा/पूर्व/पश्चिम/दक्षिण/पूर्वोत्तर), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली/कोलकाता/मुम्बई/चेन्नै/गुवाहाटी।
5. संयुक्त निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
6. उप निदेशक (अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक/मुख्यालय), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
7. उप निदेशक (अल्पकालिक गहन हिंदी प्रशिक्षण एकक/भाषा पत्राचार), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
8. उप निदेशक (हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली/कोलकाता।
9. सभी संबंधित अधिकारी।
10. सहायक निदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक (भाषा एवं टंकण/आशुलिपि), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली।
- ✓ 11. सहायक निदेशक (टं./आ.), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सेवा पंजी एवं व्यक्तिगत फाइल हेतु।
13. गार्ड फाइल।

उपनिदेशक (आ.सं.)	उपनिदेशक (आ.सं.)	उपनिदेशक (आ.सं.)	उपनिदेशक (आ.सं.)
उपनिदेशक (आ.सं.)	उपनिदेशक (आ.सं.)	उपनिदेशक (आ.सं.)	उपनिदेशक (आ.सं.)
उपनिदेशक (आ.सं.)	उपनिदेशक (आ.सं.)	उपनिदेशक (आ.सं.)	उपनिदेशक (आ.सं.)

श्री 11/15/2023 दिनांक के अधिनियम संख्या 11/15/2023 के अन्तर्गत जारी की गई सूची में उल्लिखित कार्य को निम्नलिखित प्रकार से निष्पत्ति देना है।

उपनिदेशक (आ.सं.) को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य को निम्नलिखित दिनांक तक पूर्ण करना है।

उपनिदेशक (आ.सं.) को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य को निम्नलिखित दिनांक तक पूर्ण करना है।

उपनिदेशक (आ.सं.) को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य को निम्नलिखित दिनांक तक पूर्ण करना है।

उपनिदेशक (आ.सं.) को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य को निम्नलिखित दिनांक तक पूर्ण करना है।

उपनिदेशक (आ.सं.) को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य को निम्नलिखित दिनांक तक पूर्ण करना है।

उपनिदेशक (आ.सं.) को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य को निम्नलिखित दिनांक तक पूर्ण करना है।

उपनिदेशक (आ.सं.) को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कार्य को निम्नलिखित दिनांक तक पूर्ण करना है।